विचार बिन्दु

त्याग यह नहीं कि मोटे और खुरदरे वस्त्र पहन लिए जायें और सूखी रोटी खायी जाये, त्याग तो यह है कि अपनी इच्छा अभिलाषा और तृष्णा को जीता जाये। –सुफियान सौरी

घरेलू काम करने वाली महिलाओं का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान

यूएन वीमेन और यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता की खाई अभी भी बहुत गहरी है, जिसे भरना इतना आसान नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है मगर वह बेहद धीमी है। भारत में महिलाओं के सामने सबसे व्यापक मुद्दों में से एक लैंगिक भेदभाव है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। महिलाएं आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। महिलाएं पुरुष की तुलना में बेहद संकुचित क्षेत्र में चारदीवारी के भीतर ही रहती आई हैं। हाल ही में एक रिसर्च में पता चला है कि घरेलू काम करने वाली महिलाएं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं मिलता। घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। समाज में लैंगिक असमानता एक बहुत बड़ी खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक लैंगिक समानता की बात है स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लैंगिक समानता का अर्थ है हर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर प्रदान करना, चाहे वह कार्यस्थल हो, अर्जित वेतन हो, या प्रदान किए गए अवसर हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 39 कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो समानता की अवधारणा से संबंधित हैं। वैल्यूएशन ऑफ अनपेडहाउसहोल्डएक्टिविटीज इन इंडिया नाम की एक रिसर्च रिपोर्ट में भारत में घर के काम की आर्थिक कीमत का आंकलन किया गया है। रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं रोजाना सात घंटे से अधिक समय बिना वेतन के घरेलू और देखभाल के काम में लगाती हैं। नौकरीपेशा महिलाएं भी करीब 5 से 8 घंटे इसी तरह के कामों में लगाती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक ज़िम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। हालाँकि हमारे देश में महिला बराबरी के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है मगर वह नाकाफी है। समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जा रहा है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2023 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 साल से ऊपर की उम्र के लोग रोजाना औसतन 432 मिनट, यानी करीब 7.2 घंटे, बिना वेतन के घरेलू कामों में बिताते हैं। इस अध्ययन में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम की कीमत लगभग 22.7 लाख करोड रुपये आंकी गई है, जो भारत की जीडीपी का करीब 7.5 प्रतिशत है। एक सर्वे के मुताबिक वेतन से लेकर परमोशन के दौरान महिलायें भेदभाव का शिकार हो रही है। कामकाजी महिलाओं का साफ तौर पर कहना है लिंगभेद के कारण वे इसकी शिकार हुई है। कामकाजी महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके विकास में रोड़ा बन रही है। यह स्थिति दुर्भाग्यजनक है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2023 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 साल से ऊपर की उम्र के लोग रोजाना औसतन 432 मिनट, यानी करीब 7.2 घंटे, बिना वेतन के घरेलू कामों में बिताते हैं। इस अध्ययन में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम की कीमत लगभग 22.7 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो भारत की जीडीपी का करीब 7.5 प्रतिशत है।

महिला जननी है। देखा जाये तो उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अधिक अवसर मिलने चाहिए मगर ऐसा नहीं हो रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां अभिशाप बन गयी है।

महिला सशक्तिकरण और बराबरी के तमाम दावों के बावजूद आजादी के लगभग सात दशकों बाद भी समाज में महिलाओं की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया है । समाज के नजरिए में भी महिलाओं के प्रति अब तक खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में बढ़ती शिक्षा के बावजूद देश में आर्थिक मोर्चे पर उनकी भागीदारी में गिरावट आई है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर परिवारों में अब भी महिलाओं को घर से दूर रह कर नौकरी करने की इजाजत नहीं है। घर-परिवार व पति से दूर रह कर नौकरी करने वाली महिलाओं को समाज में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। आज के आधुनिक युग में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता खुलेआम देखी जाती है। यह भेदभाव न केवल कार्यस्थलों पर बल्कि अपने घरों में भी पाते हैं। बहुदा यह देखा जाता है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अवसरों से वंचित रखा जाता है। उन्हें अपनी राय रखने की अनुमति नहीं है और वे अपने घरों तक ही सीमित हैं, जिससे वे पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर हैं। महिला के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समाज में जहां लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा अभी भी प्रचलित है। अपने अधिकारों को जानना उन्हें किसी भी प्रकार के अन्याय, दुर्व्यवहार या भेदभाव के खिलाफ खड़े होने और आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकता है। समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना भी आवश्यक है, जहां हर कोई बिना किसी डर के और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ रह सके। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की समूची संपत्ति में केवल 2 प्रतिशत मालिक महिलाएं हैं। चल-अचल संपत्ति में भी भारी असमानता है। महिला को हमने चौकी चूल्हे तक सीमित कर रखा है। साथ घूमने, सिनेमा देखने या शॉपिंग पर ले जाने मात्र से महिला को उसके अधिकार नहीं मिल जायेंगे। इसके लिए हमें अपनी संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर निकलना होगा। मानसिकता बदलनी होगी। नजरियाँ साफ करना होगा। अपनी और दूसरे की बेटी को एक समझना होगा। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को दोयम दर्जे की मार से जूझना पड रहा है। यूनीसेफ की रिपोर्ट यह बाताती है कि महिलाएं नागरिक प्रशासन में भागीदारी निभाने में सक्षम हैं। यही नहीं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बगैर किसी भी क्षेत्र में काम ठीक से और पूर्णता के साथ संपादित नहीं हो सकता।

–अतिथि सम्पादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार)

पुस्तक समीक्षा : बेतुकी दुनिया में तुक की बात

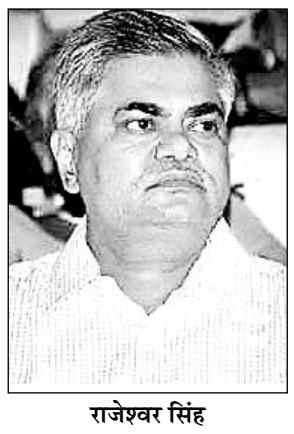

राजेश्वर सिंह

लोकेश कुमार सिंह साहिल के गजल संग्रह तुक की गजलों के सीमित दायरे में लगभग समूचा जीवन अपने अछोर विस्तार और असीम गहराई के साथ मौजूद है। यहाँ जीवन है, जीवन का उद्देश्य है, उद्देश्य की साधना है, सिद्धि का उत्सव है, पराजय का स्वीकार है, प्रणय की अभिलाषा है, विरह का विषाद है, अपनत्व का आनन्द है, सम्बन्धों का निर्वहन है और अकेलेपन की गरिमा है।

यहाँ स्व और पर के परे जाकर सम्पूर्ण सृष्टि और समष्टि के विधान और विधाता से जुड़ने व उसे समझने की अन्तहीन अकुलाहट और अबोधगम्य छटपटाहट भी है। देश और काल की सीमा रेखा से परे अनिर्वचनीय सत्य का वह रहस्यमय संसार, जो इस भौतिक जगत के क्रियाकलापों का नियमन, नियंत्रण व निर्देशन करता है, उसे जानने की जिज्ञासा और न जान पाने की निराशा के बीच लघु मानव का मन, हृदय और मस्तिष्क जिन अनुभूतियों से गुजरता है, जिस वैचारिकी का प्रणयन करता है और लोक व्यवहार के जिन नियमों का निर्माण करता है, वे शाश्वत्, सनातन व चिरंतन न होने के बावजूद सामयिक सत्य को परिभाषित अवश्य करते हैं और उनके आलोक में मनुष्य अपने लघु जीवन पथ की यात्रा भलीभांति पूरी कर लेता है। ये गजलें ऐसी ही अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हैं, ऐसी ही वैचारिकी का प्रणयन हैं और ऐसे ही जीवन सूत्रों का निर्माण हैं।

प्रथमदृष्टया जीवन व जगत का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता और यदि कोई प्रयोजन है भी तो वह जीवन और जगत के प्रणेता को ही पता होगा, किन्तु इस जीवन को जीने की सरलता व सुगमता के लिए मनुष्य सृष्टि व समष्टि के रंगमंच पर अपनी सम्भावित भूमिका का आकलन करता है, उस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करता है और वह भूमिका प्राप्त हो जाने पर समष्टि से समायोजन कायम करते हुए उस भूमिका का निर्वहन करता है।

आवश्यक नहीं है कि यह आकलन, तैयारी व निर्वहन मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमताओं के अनुकूल हो और समष्टि के साथ समायोजन की समस्या तो है ही। जहाँ यह अनुकूलन व समायोजन विद्यमान है, वहाँ सिद्धि का सुख व प्रसिद्धि का परितोष दृष्टिगोचर होता है, किन्तु दुर्भाग्यवश जहाँ ये दोनों तत्व नहीं हैं, वहाँ मनुष्य कुण्ठा, निराशा, हताशा व अवसाद से भर जाता है और उसे जीवन निष्फल व निष्प्रयोजन दिखने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सिद्धि व प्रसिद्धि के बावजूद मनुष्य सुख व आनन्द से वंचित ही रहता है। इसी लिए जीवन व जगत के नियम हर स्थिति व परिस्थिति के लिए पूर्ण व पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इसके बावजूद इन नियमों के निर्माण की दिशा में साहिल के प्रयास प्रशंसनीय हैं। एक बानगी दृष्टव्य है–

बज्म में तू बात अपनी रख मगर
हो सलीके मन्द वो गुफ्तार कर।

जीवन पथ पर चलने के लिए मनुष्य को साथी एवं सहचर की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति कुछ हद तक माता, पिता, भाई, बहिन, परिवार, सम्बन्धी, पड़ोसी, शिक्षक व सहपाठी इत्यादि से होती है किन्तु एक अनन्य एवं अन्तरंग सम्बन्ध की उत्कट व अदम्य आकांक्षा एवं अभिलाषा हर मनुष्य के अन्तस्तल में अन्तर्निहित होती है जहाँ असीम प्रेम हो, एकान्तिक समर्पण हो, अनवरत मुखर व मौन संवाद हो तथा कुछ भी गोपन न रहे। वस्तुतः यह आंकाक्षा भी एक मृगमरीचिका ही है, क्योंकि दो भिन्न अस्तित्वों के मध्य विलयन जैसा यह सुसमायोजन कभी कभी तो संभव है पर सदा और सर्वदा नहीं। इसी लिए हर प्रेमकथा में विरह के और हर प्रणय प्रसंग में पार्थक्य के स्वर भी समाहित होते हैं। साहिल की निम्नलिखित पंक्ति में यह स्वर अत्यन्त मुखरता व प्रखरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है :-

नहीं अब नाम तक भी याद उनका कभी सब कुछ हमारे जो रहें हैं।

बीते हुए जमाने के पानीदार एवं पायेदार लोगों की तहजीब और तमीज के सामने साहिल खुद को और इस जमाने के दीगर लोगों को बौना ही समझते हैं, तभी तो वे कह सके हैं :-

बात मुझ में भी कुछ तो है लेकिन वो कहाँ जो थी बाप दादों में।

साहिल पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के सहयोगी और अनुयायी रहे हैं। चन्द्रशेखर केप्रति उनके मन का श्रद्धा भाव इस किताब के इन्तिसाब में मुखरित होता है। यह इन्तिसाबही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तरह इस किताब के बारे में, इसके प्रणेता के बारे, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में, उनके प्रेरणा स्त्रोत के बारे में और उनके सपनों के भारत के बारे में अत्यन्त संक्षेप में सबकुछ कह देता है। उनके दिल और दिमाग में चन्द्रशेखर ही रहे होंगे जब उन्होने यह लिखा होगा :-

कुछ लोगों का मस्तक छूकर हो जाती है चन्दन मिट्टी।

इस महान देश की परम्परा विद्वत्ता और वीरता के साथ विनम्रता की रही है। हमारी मान्यता है कि परम पिता परमात्मा ने ही जीवन और जगत के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया है, इसलिए हम हर पेड़, पहाड़, नदी, समन्दर, जीव और जन्तु के सामने उसमें अन्तर्निहित दिव्यता की वजह से झुकते आये हैं। हमारा यह भी मानना है कि कोई विचारक, चिंतक, विचारक, दार्शनिक, शासक, प्रशासक, सेनापति, वैज्ञानिक, कवि या लेखक इतिहास का आखिरी आदमी नहीं होता। यह धरती रत्नगर्भा और रत्नप्रसूता है। जब तक यह सृष्टि रहेगी, एक से एक विद्वान, बुद्धिमान व बलवान लोग इस धरती परअवतरित होते रहेंगे और अपनी प्रतिभा व पराक्रम से इसे चमत्कृत व गौरवान्वित करते रहेंगे। इसलिए भारतीय परम्परा में विद्वत्ता और वीरता के ऊपर विनम्रता को प्रतिष्ठित किया गया है। शील शक्ति सौन्दर्य समन्वित भगवान राम के गुणों में भी शील को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसलिए साहिल जब ये कहते हैं कि "फकत आता है साहिल तुक मिलाना, नहीं कुछ भी तो तेरी शाइरी में" तो इसे हम उनकी विनम्रता कीअभिव्यक्ति ही मान सकते हैं क्योंकि वे भारतीय परम्परा में रचे बसे व्यक्ति हैं। हमारी तोउनके लिए उन्हीं के शब्दों में यह कामना है –

दोस्तों ये तुक मिलाना, ये तरन्नुम फिर कहाँ,
बाद मेरे ये जमाना, सोचता रह जायेगा।

–राजेश्वर सिंह
आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)।

पुष्कर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा : दिया कुमारी

अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला-2024 के समापन कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की

उपमुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला-2024 के समापन समारोह में पुरस्कार दिये।

पुष्कर मेला समापन समारोह के दौरान रस्सा कस्सी, मटका दौड़, चम्मच रेस सहित कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुये।

अजमेर, (कासं)। उपमुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला प्रतिवर्ष पूरी भव्यता के साथ आयोजित होगा, केन्द्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राजस्थान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला-2024 के समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि तीर्थराज पुष्कर का पूरे विश्व में विशिष्ट महत्व है। जगतपित ब्रह्मा की नगरी पुष्कर करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है। राज्य सरकार पुष्कर के विकास के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। पुष्कर का विकास अयोध्या एवं काशी की तर्ज पर सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। पुष्कर विकास की बड़ी रूपरेखा तैयार कर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल 6 लाख से अधिक देशी-विदेशी पर्यटक व श्रद्धालुओं ने मेले में भाग लिया है। वर्ष 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेले में आए हैं। पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से हर साल मेले को पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। इस साल 20 हजार से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी मेले में आए हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति की भावना पुष्कर से जुड़ी हुई है। मेले और पुष्कर विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेले का इतना प्रचार-प्रसार किया जाएगा कि भारत आने वाला व्यक्ति पुष्कर आने की इच्छा रखे। यहां संसाधन भी उसी अनुरूप विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार देश और राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य सरकार राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए बजट में 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे।

जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने कहा कि पुष्कर मेले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। इस बार मेला पूरी तरह सफल रहा है। जगतपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर का भव्य विकास किया जाएगा। उन्होंने मेले के सफल आयोजन पर सभी को बधाई दी। रावत ने कहा कि पुष्कर का सुनियोजित विकास किया जा रहा है। सभी को साथ लेकर समन्वित रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इससे पूर्व मेले में रस्साकस्सी, मटका दौड़, चम्मच रेस और लोक नृत्यों की शानदान प्रस्तुतियां दी गई। अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मसूदा विधायक वीरेन्द्र सिंह कानावत, नगर परिषद सभापति कमल पाठक, जिला कलक्टर लोक बन्धु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी सहित प्रशासनिक अधिकारी व जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

- **'पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से हर साल मेले को पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे'**

राशिफल शनिवार 16 नवम्बर, 2024

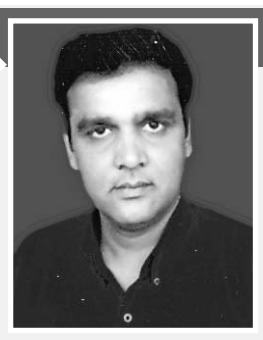

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शनिवार विक्रम सम्वत 2081, कृत्तिका नक्षत्र सायं 7.28 तक, परिद्य योग रात्रि 11.47 तक, बालव करण दिन 1.25 तक चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति – सूर्य-तुला, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरु-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में संचार करेगा।

आज सवार्थसिद्धि योग ओर अमृतसिद्धि योग सायं 7.28 से सूर्योदय तक है। आज मार्गशीर्ष संक्रांति है। सूर्य वृश्चिक में प्रात: 7.32 से प्रवेश करेगा। पुण्य काल दिन 1.56 तक है पदमक योग सायं 7.28 तक रहेगा।

श्रेष्ठ चौघडिया – शुभ 8.11 से 9.31 तक, चट 12.11 से 1.32 तक, लाभ-अमृत – 1.32 से 4.12 तक

राहुकाल – 9.00 से 10.30 तक, सूर्योदय 6.51 सूर्यास्त 5.32

मेष

मेष – व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते है।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करे। व्यावसायिक सम्पर्क बनेंगे। प्रतिष्ठि व्यक्तियों से व्यायावसायिक सम्पर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठिक होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु

धनु – परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी।

वृष

वृष – व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यो के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

कन्या

कन्या – अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यो को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

मकर

मकर – घर-परिवार में शुभ-मांगलिक-धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्य के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

मिथुन

मिथुन – आर्थिक-वित्तीय मामलों में संतुलन बनाये रखना ठीक रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। वाणि पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

तुला

तुला – परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामुहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

कुम्भ – परिवार में मांगलिक-धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

कर्क – व्यावसायिक कार्यो को प्राथमिकता से करने का प्रयास करे। व्यावसायिक सम्पर्क बनेगे। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क बनेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृश्चिक

वृश्चिक – परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक सामाजिक समारोह संपन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मीन

मीन – परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में फैसला सुनाया

- **फैसले में हाईकोर्ट ने इस एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाया**
- **हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं है**

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में हाईकोर्ट ने इस एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- भंगी, नीच,भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं है। मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विभाग के कार्मिकों से बहस से जुड़ा है, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा कोर्ट में सुनवाई करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धाराओं को हटा दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बैंच ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एससी-एसटी एक्ट की धाराओं से बरी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार मामला जैसलमेर के कोतवाली थाने का है। यहां 31 जनवरी 2011 को एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटनाक्रम 31 जनवरी 2011 का है। हरीश चंद्र अन्य अधिकारियों के साथ अतिक्रमण अचल सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच करने गए थे। जब वे साइट का नाप कर रहे थे, तब अचल सिंह ने सरकारी अधिकारी हरीश चंद्र को अपशब्द जिनमें (भंगी, नीच, भिखारी और मांगनी) आदि शब्द कहे। इस दौरान हाथापाई भी हुई। इस पर सरकारी अधिकारी की ओर से अचल सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया था। इस मामले में चार लोगों पर आरोप लगाए गए थे। इन चारों ने एससी-एसटी एक्ट के तहत लगे आरोप को चुनौती दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अपीलकर्ताओं का कहना था कि पीड़ित की जाति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घटना सार्वजनिक रूप से हुई, गवाह महज अभियोजन पक्ष ही था। इधर, मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। इस दौरान इससे संबंधित कोई सबूत नहीं होने पर इसे झूठा बताया गया। इसके बाद इस पर चार्जेज फ्रेम हुए।

मामले की सुनवाई में अपीलकर्ता के वकील लीलाधर खत्री ने कहा कि अपीलकर्ता को अधिकारी के जाती के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके कोई सबूत भी नहीं मिले है कि ऐसे शब्द बोले गए और ये घटना भी जनता के बीच हुई हो। ऐसे में पुलिस की जांच में जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप सच नहीं माना गया।

ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि भंगी, नीच, मांगनी और भिखारी शब्द जातिसूचक नहीं है और यह एससी/एसटी एक्ट में शामिल नहीं होगा। ऐसे में जातिसूचक शब्दों के आरोप के मामले में अपीलकर्ता को बरी किया लेकिन ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को रोका गया है इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट के अनुसार यह शब्द जातिसूचक नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गालियां प्रतिवादी को अपमानित करने के इरादे से नहीं बल्कि अनुचित माप के लिए दी गई। याचिकाकर्ता का कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से किए जा रहे माप के विरोध में था।

सरप्लस शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन होगा

बीकानेर, (निसं)। राज्य के विभिन्न स्कूलों में सरप्लस चल रहे शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन 12 दिसंबर से प्रस्तावित अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले होगा। राज्य में स्कूल क्रमोन्नत होने और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में बदलाव होने से अनेक शिक्षक अधिशेष चल रहे हैं। इन शिक्षकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। माध्यमिक एवं प्रारंभिक दोनों शिक्षा निदेशकों ने संयुक्त हस्ताक्षर से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए 30 बिंदुओं की गाइडलाइन और कैलेंडर घोषित कर दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक सरप्लस शिक्षकों का समायोजन पास के स्कूल में किया जाएगा। वहीं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल और नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जहां अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां भी स्टाफिंग पैटर्न से पद मानकर अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जा सकेगा। समायोजन के लिए शिक्षा निदेशालय ने टाइम फ्रेम भी घोषित कर दिया है।